न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–79 / 2016–17

मुन्ना वारी वगैरह बनाम शम्भु बारी

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
20/6/18	**आदेश** आवेदकगण के द्वारा यह बाद विपक्षी शम्भु बारी के नाम से बिहटा अंचल अंतर्गत मौजा अमहारा थाना नं0 44 खाता सं0 437, 352, 1166, 1188 रकवा 44डी0 के लिए कायम जमाबंदी सं0 $\frac{251}{1}$ को रद्द करने हेतु दायर किया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है :– **प्रथम पक्ष :** 1. मुन्नावारी, पिता टिपन बारी, ग्राम–अमहारा, थाना–बिहटा, जिला–पटना 2. हीरावन बारी, पिता पंचरतनबारी, ग्राम–अमहारा, थाना नं0 बिहटा, जिला–पटना **द्वितीय पक्ष :** शम्भुवारी, पिता स्व0 भगेड़न, ग्राम–अमहारा, थाना–बिहटा, जिला–पटना। इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षी को नोटिस निर्गत की गयी। विपक्षी उपस्थित हुए, परन्तु उनके द्वारा प्रतिउत्तर दायर नहीं किया गया। इस वाद के उभय पक्ष दिनांक 20.01.2018 से वाद की कार्रवाई में भाग नहीं ले रहे हैं। उभय पक्ष दिनांक 20.01.2018, 13.03.18, 05.05.18 एवं 07.05.18 को सुनवाई के लिए निर्धारित चार तिथियों में लगातार अनुपस्थित रहे। दिनांक 07.05.2018 को आवेदक को अंतिम मौका दिया गया, परन्तु आवेदक आज भी अनुपस्थित हैं, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है। आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्ष एक ही पूर्वज के वंशज है। आवेदन के साथ पंजी–2 की छाया–प्रति संलग्न की गयी है, जिसके अनुसार खाता सं0 437, 352, 353, 1166 एवं 1188 रकवा 44डी0 के लिए वंशी वारी, पिता रघुनंदन बारी के नाम से जमाबंदी सं0 $\frac{251}{1}$ कायम थी। पंजी–2 पर अंकित है कि शिविर दिनांक 15.06.2010 के द्वारा शंभु वारी, पिता स्व0 भगेरन वारी (इस वाद के विपक्षी) के नाम से दाखिल खारिज किया गया। आवेदन के साथ शंभु वारी के नाम से निर्गत वर्ष 2010–11 की लगान रसीद एवं शम्भुवारी के नाम से दिनांक 25.06.2010	

(क्रमशः)

	को निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र की छाया–प्रति भी दाखिल की गयी है। आवेदकगण का कहना है कि विपक्षी के द्वारा गलत शपथ–पत्र एवं वंशावली समर्पित कर अपने नाम से जमाबंदी कायम करवा ली गयी है। आवेदकगण के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर किस आधार पर दावा किया जा रहा है, इससे संबंधित कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। विपक्षी के नाम से शिविर न्यायालय में दिनांक 15.06.2010 को दाखिल खारिज का स्वीकृति दी गयी है। यदि आवेदकगण को उक्त दाखिल खारिज पर आपत्ति थी तो उन्हें उक्त दाखिल खारिज के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर के न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिए थी। आवेदक के द्वारा विपक्षी के नाम से कायम जमाबंदी के अवैध होने के संबंध में पर्याप्त एवं ठोस कारण नहीं बताया गया, जिसके आधार पर उक्त जमाबंदी को रद्द किया जा सके। आवेदन अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** 20/6/18 (वज़ैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता,पटना 20/6/18 (वज़ैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता,पटना		

(मनीष)